

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 5 / 08 / 2022

क्रमांक एफ-11-1/2013/38-3 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.02.2014 द्वारा शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स को पाँचवें वेतनमान के आधार पर 101 प्रतिशत मंहगाई राहत दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स को पाँचवें वेतनमान में 174 प्रतिशत मंहगाई राहत का भुगतान किए जाने की स्वीकृति दिनांक 01.08.2022 से प्रदान की जाती है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 5 / 08 / 2022

पृष्ठांकमांक एफ-11-1/2022/38-3

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
7. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल।
8. प्राचार्य, (अग्रणी) शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
9. प्राचार्य, (समस्त) शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
10. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
11. अध्यक्ष, अशासकीय अनुदान प्राप्त पेंशनर्स एसोसिएशन, भोपाल पता-33 फूल महल स्ट्रीट, रेतघाट, भोपाल-462001
12. अध्यक्ष, म.प्र. अशासकीय महाविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी संघ, प्रांतीय इकाई, प.म.ब., गुजराती वाणिज्य महाविद्यालय-1, नासिया रोड, इन्दौर, म.प्र.।
13. गार्ड फाइल

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग